कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लोहिया इकाई-2 ,विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ ।

प्रा0प0सं0- 128/2008

प्रार्थी की ओर से- श्री रवीन्द सिंह,एडवोकेट ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत निर्णय

1- प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08-2-2008 प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है:-

1- चुनार स्टोन,कोटा स्टोन ,मार्बल,ग्रेनाइट

2-रेडी मिक्स कंकरीट

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, लखनऊ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त वस्तुयें वैट अधिनियम की अनुसूची 1,2,3 व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयताहै।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री रवीन्द्र सिंह,अधिवक्ता उपस्थित हुये,बताया कि रेडी मिक्स कंकरीट बनाने में मौरंग,गिटटी एवं सीमेन्ट का प्रयोग होता है। वे रेडी मिक्स निर्माता को अपनी सीमेन्ट देते है,शेष मैटेरियल रेडी मिक्स निर्माता लगाता है।

4- मैनें प्राप्त विभागीय आख्या, धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया । चुनार स्टोन,कोटा स्टोन ,मार्बल,ग्रेनाइट व रेडी मिक्स कंकरीट वैट अधिनियम की अनुसूची 1,2,3 व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयताहै।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 08,जुलाई,2008

ह0 8.7.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ